



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22062021-227793
CG-DL-W-22062021-227793

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, जून 13 - जून 19, 2021, शनिवार/ ज्येष्ठ 23 - ज्येष्ठ 29, 1943
No. 19] NEW DELHI, JUNE 13 - JUNE 19, 2021, SATURDAY/ JYAISTHA 23 - JYAISTHA 29, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 59 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी भर्ती नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है, या करने का लोप किया गया हों, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, पुस्तकालय और सूचना अधिकारीसमूह “क” पद भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति -

जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की सविदा की है या

जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की सविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग से व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	01* (2021) कार्यभार के* आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रु.)	लागू नहीं होता	चालीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख (नाकि वह अन्तिम तारीख होगी जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, राज्य के

					लद्दाख खंड , हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड) वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर की डिग्री टिप्पण 1-अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। अनुभव- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 2 - अनुभव सम्बन्धी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के	आयु : लागू नहीं होता। शैक्षिक अर्हताएं -लागू नहीं होती	सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	पद्धति : - अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति या आमेसन जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । प्रतिशतता - 100 प्रतिशत

पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। अर्हताएं (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था के अधीन पुस्तकालय में कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय के क्रियाकलापों का एक वर्ष का अनुभव। 2. जल के स्रोतों या भूमिगत या जल सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्रों में तकनीकी या वैज्ञानिक पुस्तकों, जर्नलों, अर्धवर्षिकी आदि में वृत्तिक एक वर्ष का अनुभव। 3. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा			
---	--	--	--

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	12	13
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान के अधीन अधिकारी क (i) विभाग या संवर्ग में सदृश पदधारण करते हो; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रु.) के स्तर 10 या वेतन मैट्रिक्स (53100-167800 रु.) के स्तर 9 में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (47600-151100 रु.) के स्तर 8 या समतुल्य के पदों में छ वर्ष नियमित सेवा की हो (IV) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रु.) के स्तर 7 या समतुल्य के पदों में सात वर्ष नियमित सेवा	समूह " विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिये) जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - अध्यक्ष संयुक्त सचिव, जलशक्ति मंत्रालय - सदस्य सदस्य, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

की हो और (ख) स्तम्भ (सात) में अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हो टिप्पणी-1 प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी-2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा.सं. ए. 31011/09/2017- जी डब्ल्यू ई]

अक्षय कुमार साहू, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

New Delhi, the 5th April, 2021

G.S.R. 59.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board, (Assistant Library and Information Officer) Recruitment Rules 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Officer in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Library and Information Officer Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person.-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Officer	1* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Gazetted, Non-Ministerial, Group 'A'.	Level-11 (Rs. 67700-208700).	Not applicable	Not exceeding 40 years of age. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: Master's degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or institute;	Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable	One Year.	Method: Deputation including short term contract or absorption failing which by direct recruitment.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Experience: Five years' professional experience in a Library under Central Government or State Government or autonomous or statutory organization or public sector undertakings or University or recognised research or educational institution. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them. Desirable Qualifications: (i) One year experience of computerising Library activities in a Library under Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or University or recognised research or educational institution. (ii) One year professional experience in procurement of technical or scientific books, journals, periodicals etc in the areas of water resources or ground water or irrigation or flood control. (iii) Diploma in Computer Application from a recognised University or institute.			Percentage: 100 per cent.
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories administration or autonomous or statutory Organisation or public sector undertaking or recognised University or institute or research institution. (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in posts in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) or level-9 in the pay matrix (Rs.53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years regular service in posts in level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; (iv) with seven years regular service in posts in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column(7). Note 1: Period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceeding four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Chairman, Central Ground Water Board -Chairperson; 2. Joint Secretary, Ministry of Jal Shakti - Member; 3. Member, Central Ground Water Board -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F.No.A.31011/09/2017-GWE]
A.K. SAHOO, Under Secy.